NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 15.6.2024

Page No. 16, Size:(6.60)cms X (8.90)cms.

NHRC invites entries for its online photography competition

NHRC India, invited entries from Indian citizens for its online human rights photography competition - 2024. The themes for still photographs are to be based on various socio-economic, cultural, and political rights. It is organised in collaboration with the MyGov portal. The last date for the entries is July 7, which may be sent via NHRC, India website: http://nhrc.nic.in or through the MyGov portal: http://MyGov.in. This competition is an effort to engage with people in general for human rights advocacy.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 15.6.2024
Page No. 16, Size:(6.26)cms X (8.97)cms.

NHRC issues advisory on the protection of Human Rights of the widows

NHRC India issued an Advisory to the Government authorities in the Centre and State Governments and UT Administrations to ensure widows' welfare and protection of their human rights. The advisory focuses on 10 key areas for action. MoWCD and concerned State departments advised to have a centralised database of all government-run homes for widows on their websites. The Advisory was necessary since widowed women often experience social exclusion, loss of income, and even loss of residence.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 15.6.2024

Page No. 16, Size:(6.26)cms X (9.01)cms.

NHRC, India takes suo moto cognisance of death of three persons

The National Human Rights Commission (NHRC), India took suo moto cognisance of a media report, carried on June 9 that three workers died after they went down a private septic tank of a food outlet in Vrindavan, Uttar Pradesh on June 8. Reportedly, they were electrocuted while repairing a motor inside the septic tank without any safety gear. They were hired by a private contractor. The Commission has issued a notice to the Chief Secretary and DGP, Uttar Pradesh calling for reports.

STATESMAN, Online, 15.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC seeks report on snakebite death of toddler at Odisha police station

https://www.thestatesman.com/india/nhrc-seeks-report-on-snakebite-death-of-toddler-at-odisha-police-station-1503309974.html

The top rights panel passed the order on Thursday in response to a petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy.

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notice to Puri District Collector and Superintendent of Police on the death of a toddler due to snakebite at the premises of Astaranga police station in Odisha's Puri district.

The top rights panel passed the order on Thursday in response to a petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy.

A two-year-old toddler died of snakebite at Astaranga police station while her mother had gone to the police station with the baby to lodge a complaint on 27 May.

"Unsafe environment and proper vigil at the police station led to the kid's tragic death. The Police officials were found wanting in immediately shifting the child to a nearby hospital. If police would have acted in time, the precious life could have been saved. It is the responsibility of the officials to keep the workplace safe. Neither investigation has been conducted in the case nor has compensation been paid to the mother of the deceased," the petition alleged.

The petitioner, Tripathy sought for a safe environment in all the police stations with childcare facilities to avert recurrence of such tragedy in future.

"The Commission shall be constrained to invoke coercive process u/s 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993 calling for a personal appearance of the authority concerned for submission of the report, in case the report is not received within the stipulated time", the NHRC directed in an order on 13 June.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

TIMES OF INDIA, Online, 15.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC seeks report from Puri district administration over death of kid at police station

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-seeks-report-from-puri-district-administration-over-death-of-kid-at-police-station/articleshow/110999704.cms

BHUBANESWAR: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought an action-taken report from the Puri district collector and superintendent of police (SP) regarding the death of a toddler on the premises of Astaranga police station in Puri district on May 27. The toddler, who had come with his mother, died of a snakebite at the police station.
The Commission issued this direction on Thursday after hearing a petition filed by human rights activist and lawyer Radhakanta Tripathy. According to the petitioner, Asha Behera of Balidia village visited the Astaranga police station with her child to file a domestic violence complaint against her in-laws.

While the mother was busy filing the complaint, her two-year-old child was playing on the premises of the police station. During this time, he was bitten by a snake. The child was rushed to a community health center at Astaranga and later shifted to the Capital Hospital in Bhubaneswar. However, the doctors declared the child dead.

Relatives of Behera staged a protest in front of the police station and demanded compensation for the next of kin of the deceased. After police intervention, the angry agitators called off the protest.

Tripathy, in his petition, alleged that the child died of a snakebite due to a lack of a safe environment and vigilance at the police station. He said the incident has highlighted serious concerns about safety and emergency response measures in police stations in Odisha.

The complainant also alleged that no inquiry or investigation had been conducted in the matter. “It is a serious issue of an alleged violation of human rights. I have requested the Commission to intervene in the matter,” he added.

The Commission took cognizance of the case and sought an action-taken report from the Puri district authorities within four weeks. “The Commission shall be constrained to invoke coercive process under section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993, calling for a personal appearance of the authority concerned for the submission of the report if the report is not received within the stipulated time,” read the NHRC order.

ORISSA POST, Online, 15.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC seeks ATR on death of toddler inside Astaranga police station in Odisha

https://www.orissapost.com/nhrc-seeks-atr-on-death-of-toddler-inside-astaranga-police-station-in-odisha/

Kendrapara: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought an Action Taken Report (ATR) within four weeks from the Puri District Collector and Superintendent of Police on the death of a toddler inside Astaranga police station.

The NHRC passed the order on Thursday after considering the submissions of Radhakanta Tripathy, a human rights activist and lawyer.

The petitioner stated that a two-year-old child died of a snake bite at Astaranga police station in puri district.

The toddler had come to the police station with his mother, who had visited to lodge a complaint May 27, 2024.

Due to the lack of a safe environment and proper vigilance at the police station, such an incident occurred, Tripathy said and alleged that due to the negligence and lackadaisical attitude of the police officials in providing immediate medical care, the child died.

He stated that it is the responsibility of government officials, the police in this case, to maintain a safe workplace. The child could not receive medical care after he was bitten by a viper inside the police station.

The petitioner further mentioned that no inquiry or investigation has been conducted in this unfortunate case, and no compensation has been paid to the mother of the victim. Tripathy sought an independent and impartial investigation into the incident and urged for safety measures and a safe environment in all police stations with childcare facilities.

The Commission took cognizance of the matter and issued notices to the District Magistrate and the Superintendent of Police, Puri, Odisha, calling for an ATR within four weeks.

The Commission shall be constrained to invoke a coercive process under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993, calling for the personal appearance of the concerned authority for submission of the report if the report is not received within the stipulated time, the NHRC order said.

TIMES OF INDIA, Online, 15.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC seeks report on child's death by snakebite in Puri dist

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-seeks-report-on-childs-death-by-snakebite-in-puri-dist/articleshow/111010134.cms

Bhubaneswar: The National Human Rights Commission (NHRC) sought an action taken report from the Puri district collector and superintendent of police within four weeks on the death of a two-year- old toddler in a police station on May 27.

The child, who came with his mother, died of a snakebite at Astaranga police station. The commission issued the direction on Thursday after hearing a petition filed by human rights activist and lawyer Radhakanta Tripathy.

The petitioner, Asha Behera of Balidia village, visited Astaranga police station with her child to file a domestic violence complaint against her in-laws. While the mother was filing her complaint, her child was playing on the police station premises when he was bitten by a snake. The child was rushed to a community health centre in Astaranga and later shifted to Capital Hospital in Bhubaneswar. However, the child was declared dead.

Relatives staged a protest in front of the police station and demanded compensation for the next of kin of the deceased. After police intervention, the agitators called off the protest. Tripathy alleged that the child died of a snakebite due to lack of a safe environment and vigilance at the police station. He said the incident has highlighted serious concerns about safety and emergency response measures in police stations in Odisha.

He also alleged that no inquiry or investigation had been conducted in the matter. "It is a serious issue of an alleged violation of human rights. I have requested the commission to intervene in the matter," he added.

"The commission shall be constrained to invoke coercive process under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993, calling for a personal appearance of the authority concerned for the submission of the report if the report is not received within the stipulated time," read the NHRC order.

We also published the following articles recently

NHRC seeks report from Puri district administration over death of kid at police stationNHRC seeks action report from Puri district authorities on toddler's snakebite death at Astaranga police station.110999704

Finnish far-right extremist suspected of stabbing child: PoliceA 33-year-old Finnish man with a background in far-right extremism stabbed and severely wounded a 12-year-old in Finland. The National Bureau of Investigation (NBI) is investigating the motive of the attack.111003573

TIMES OF INDIA, Online, 15.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Lawyer files police complaint after stray dog run-over by motorist in Lokhandwala ComplexA lawyer reported an SUV driver for running over a female dog near Gopinath Munde garden at Lokhandwala Complex.111005478

JANTA SE RISHTA, Online, 15.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Andhra Pradesh: वाईएसआरसीपी सांसद ने कहा, हिंसा की शिकायत केंद्र से की गई है

https://jantaserishta.com/local/andhra-pradesh/andhra-pradesh-ysrcp-mp-said-complaint-of-violence-has-been-lodged-with-the-center-3325773

विशाखापत्तनम Visakhapatnam: वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सदस्य वाई वी सुब्बा रेड्डी ने कहा कि पार्टी ने पिछले सप्ताह चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद से राज्य में अपने नेताओं पर लगातार हो रहे हमलों को केंद्र के संज्ञान में लाया है। उन्होंने गुरुवार को यहां मीडियाकर्मियों से कहा कि वाईएसआरसीपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने राज्यपाल से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क किया।

सुब्बा रेड्डी ने कहा कि उन्होंने वाईएसआरसीपी नेताओं और उनकी संपत्ति के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की है। उन्होंने कहा कि चूंकि पुलिस हिंसा में लिप्त लोगों के खिलाफ "कोई कार्रवाई नहीं कर रही है", इसलिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को हमलों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से पुलिस को हमलों के बारे में शिकायतों पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने और कानून के अनुसार कड़े कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने के आदेश भी मांगे। सुब्बा रेड्डी ने अपनी याचिका में पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश भी मांगे।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

INN 24 NEWS, Online, 15.6.2024

Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

राष्ट्री य मानवाधिकार एवम् सामाजिक न्याय आयोग की नवीन कानून को लेकर वर्कशॉप आयोजित करने हुई बैठक

https://inn24news.in/national-human-rights-and-social-justice-commission-meeting-to-organize-workshop-on-new-law/

जिला ब्यूरो सक्ती -महेन्द्र कर्ष **राष्ट्री य मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग** के जिला प्रबंध समिति की आकस्मिक बैठक आज घनश्याम वाटिका में आयोजित की गई । आयोग के लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता चितरंजय पटेल की उपस्थिति में आज कलिंगा विश्वविद्यालय एवम् आयोग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नवीन कानून को लेकर कार्यशाला की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि देश में 1जुलाई से प्रवर्तनीय भारतीय न्याय सहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवम् भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर कांलिंगा विश्व विद्यालय के विषय विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यान दिया जावेगा।

जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश के गरिमामय मुख्य आतिथ्य में न्याय विभाग, प्रशासन, पुलिस, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारी एवम् आयोग के सदस्य तथा मीडिया के लोग इस व्याख्यान माध्यम से नवीन कानून का सरल व सहज जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विदित हो कि कुल सचिव कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा इस आयोजन हेतु राष्ट्री य मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग, लीगल सेल को दायित्व दिया गया है फ्लावरूप आयोजन को सफल बनाने आज बैठक आयोजित की गई जिसमें जिलाध्यक्ष के साथ पदाधिकारियों दायित्व सौंपा सौं गया तदनुसार सभी व्याख्यान माला को सफल बनाएं। आज इस बैठक में जिलाध्यक्ष महेंद्र बरेठ, मिडिया प्रमुख योम लहरे, महिला प्रमुख कांता यादव, पुष्प यादव, युवा प्रमुख महेंद्र कर्ष, दलेश साहू, शिवनाथ, रेवतीनंदन, फागुलाल, उदय मधुकर आदि कार्यकर्ताओं की गरिमामय उपस्थिति रही।

IN SAMACHAR, Online, 15.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

उत्तर प्रदेश के वृन्दावन में सेप्टिक टैंक में तीन श्रमिकों की मौत पर NHRC ने यूपी सरकार, डीजीपी को जारी किया नोटिस

https://insamachar.com/nhrc-issues-notice-to-up-government-dgp-over-death-of-three-workers-in-septic-tank/

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने 9 जून, 2024 को खबरों में आई एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि दिनांक 8 जून, 2024 को उत्तर प्रदेश के वृन्दावन में एक फूड आउटलेट के निजी सेप्टिक टैंक के भीतर तीन श्रमिकों की मौत हो गई। कथित तौर पर, बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के सेप्टिक टैंक के भीतर मोटर की मरम्मत करते समय वे बिजली के कंरट की चपेट में आ गए। उन्हें एक निजी ठेकेदार द्वारा काम पर रखा गया था।

आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्यक है, तो यह पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन है। ठेकेदार और स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही से तीन लोगों की जान चली गई। यह वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है कि आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के बिना भी लोक अधिकारियों के आदेश पर श्रमिकों को जीवन-घातक कृत्यों का सामना करना पड़ रहा है।

तदनुसार, आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में मामले में दर्ज एफआईआर की स्थिति, जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के साथ-साथ अधिकारियों द्वारा मृत श्रमिकों के परिजनों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास की स्थिति भी अपेक्षित है।

आयोग लगातार पर्याप्त और उचित सुरक्षात्मक/सुरक्षा गियर या उपकरण के बिना खतरनाक सफाई की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध का समर्थन करता रहा है तथा खतरनाक सफाई कार्य करते समय किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के अलावा, काम के अनुकूल और प्रौद्योगिकी आधारित रोबोटिक मशीनों के उपयुक्त उपयोग का भी समर्थन किया है। उस संदर्भ में, आयोग ने इस तरह की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु लिए केन्द्रा, राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को 'खतरनाक सफाई में लगे व्यक्तियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा' हेतु दिनांक 24 सितंबर, 2021 को परामर्शी जारी की।

परामर्शी में, इस बात पर विशेष रूप से ध्यापन दिया गया है कि किसी भी सैनिटरी कार्य या खतरनाक सफाई कार्य के मामले में, स्थानीय प्राधिकारी और ठेकेदार/नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से तथा व्य क्तिगत रूप से जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, भले ही सफाई कर्मियों की नियुक्ति किसी भी प्रकार से की गई हो।

इसके अलावा, सफाई कर्मचारी आंदोलन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (डब्ल्यूपी(सी) संख्या 583/2003) में उच्चअतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में विशिष्ट रूप से उल्लेबख किया गया कि सीवर आदि की सफाई के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों की जिम्मेदारी और कर्तव्य है।

Sonebhadra News: प्रदूषित पानी के सेवन से बीमारी-मौतों पर NHRC गंभीर, आठ सप्ताह के भीतर कड़े एक्शन के निर्देश Sonebhadra News: सोनभद्र का एक बड़ा इलाका

https://newstrack.com/uttar-pradesh/sonbhadra/new-tradition-sacrifice-will-not-be-allowed-in-open-sacrifice-of-banned-animals-will-be-banned-448322?infinitescroll=1

Sonebhadra News: सोनभद्र का एक बड़ा इलाका प्रदूषण जनित बीमारियों की मार से कराह रहा है। फ्लोराइड जनित फ्लोरोसिस बीमारी जहां लोगों के दांतों, हड्डियों को गलाने में लगी हुई है।

Sonebhadra News: सोनभद्र के प्रदूषण प्रभावित इलाकों में फ्लोराइड जनित फ्लोरोसिस से फैल रही विकलांगता, मरकरी, आर्सेनिक एवं अत्यधिक आयरन युक्त पानी पीने से हो रही बीमारी और बीमारियों के चलते हो रही मौतों पर एनएचआरसी (**राष्ट्रीय मानवाधिकसार आयोग**) ने कड़ा रूख अपनाया है। की गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, जिलाधिकारी को प्रदूषण और बीमारी नियंत्रण के लिए अविलंब जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आठ सप्ताह के भीतर कड़े एक्शन के लेने के साथ ही, की गई कार्रवाई से अवगत कराने के लिए कहा गया है।

यह की गई थी शिकायत

Sonbhadra News: नई परंपरा-खुले में कुर्बानी की नहीं होगी अनुमति, धर्मगुरूओं के साथ बैठक कर बनाई रणनीतिSonbhadra News: यूपी में 655 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति का नया रिकार्ड, अनपरा की दूसरी इकाई ट्रिपSonbhadra: विश्व रक्तदान दिवस पर ब्लड सेपरेटर यूनिट का शुभारंभ, प्लेटलेट्स-प्लाज्मा के नहीं जाना होगा गैर जनपदAlso Read - Sonbhadra News: नई परंपरा-खुले में कुर्बानी की नहीं होगी अनुमति, धर्मगुरूओं के साथ बैठक कर बनाई रणनीतिआल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के जिला संयोजक कृपाशंकर पनिका की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी शिकायत में अवगत कराया गया है कि म्योरपुर ब्लॉक के विभिन्न गांवों में फ्लोराइड, मरकरी, आर्सेनिक और अत्यधिक आयरन युक्त पानी लोगों को अकाल मृत्यु की ओर धकेल रहा है। रिहंद के तटवर्ती इलाके के कई गांवों में ग्रामीण को बरसाती नालों, कच्चे कुओं, चुआड और रिहंद बांध का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। डड़ियरा, रासपहरी, कुसम्हा, गोविंदपुर आश्रम जैसे इलाकों में फ्लोरोसिस से कई परिवार विकलांग हो गए हैं। डड़ियारा गांव में एक ही परिवार के दो सगे भाई कपिल देव यादव, किशुन देव यादव ओर उनकी मां मोहनी फ्लोरोरिसिस की चपेट में आकर जिंदगी-मौत से जूझ रही हैं। इसी गांव की 13 वर्षीय खुशबू पुत्री हुकुमचंद के आंखों की 80 फ़ीसद रोशनी चली गई है। शुद्ध पेयजल के लिए स्थापित ज्यादातर आरओ प्लांट, फिल्टर प्लांट खराब हैं। फ्लोरोसिस रिमूवल प्लांट बेकार पड़े हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ डाक्टर, ईसीजी, एक्स रे, अल्ट्रासाउंड, प्रमुख पैथोलॉजी जांच आदि का अभाव है।

संबंधित अधिकारी के जरिए कराएं कड़ी कार्रवाई

एनएचआरसी के अनुभाग अधिकारी पंकज कुमार ने जिलाधिकारी को भेजे निर्देश में अवगत कराया है कि 24 मई 2024 को भेजी गई शिकायत आयोग के समक्ष 13 जून 2024 को रखी गई थी। इसको लेकर आयोग ने निर्देश दिया है कि यह शिकायत समुचित कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारी को प्रेषित की

जाएगी। संबंधित प्राधिकारी को शिकायतकर्ता/पीड़ित को शामिल करते हुए 8 सप्ताह के भीतर प्रभावी कार्रवाई करते हुए, की गई कार्रवाई से अवगत कराना होगा।

निगरानी तंत्र की उदासीनता किए-कराए पर फेर रहा पानी

बताते चलें कि सोनभद्र का एक बड़ा इलाका प्रदूषण जनित बीमारियों की मार से कराह रहा है। फ्लोराइड जनित फ्लोरोसिस बीमारी जहां लोगों के दांतों, हड्डियों को गलाने में लगी हुई है। वहीं, कई इलाकों में मरकरी और आर्सेनिक की अधिकता कैंसर के साथ ही त्वचा से जुड़ी गंभीर बीमारियों का बड़ा कारण बनी हुई है। आयरन की अधिकता पेट संबंधी दिक्कत पैदा कर रहा है सो अलग। इसको लेकर जहां, एनजीटी और शासन की ओर से कई निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वहीं, जिला प्रशासन की ओर से कई कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण और इससे राहत के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के निगरानी के लिए स्थापित तंत्र और उससे जुड़े अधिकारियों की उदासीनता, सारे किए-कराए पर पानी फेरे हुए हैं। हालत यह है कि जहां सोनभद्र की आबोहवा दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है। वहीं, शुद्ध पेयजल जैसा मसला अभी भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है।

प्रदूषित पानी पीने से बीमारी और मौतों पर NHRC गंभीर, डीएम सोनभद्र को कार्रवाई का दिया आदेश

https://janchowk.com/statewise/nhrc-serious-on-diseases-and-deaths-due-to-consumption-of-polluted-water-orders-dm-sonbhadra-to-take-action/

लखनऊ। आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने सोनभद्र जिले के म्योरपुर ब्लॉक अंतर्गत विभिन्न गांवों में फ्लोराइड, मरकरी, आर्सेनिक व अत्यधिक आयरन युक्त प्रदूषित पानी पीने से विकलांगता और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होकर अकाल मृत्यु होने के मामले में प्रशासनिक लापरवाही का मुद्दा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित पत्र के माध्यम से उठाया था। जिसे संज्ञान में लेते हुए केस संख्या 11051/24/69/2024 दर्ज कर **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के सेक्शन ऑफिसर पंकज कुमार केसान ने जिलाधिकारी सोनभद्र को 8 सप्ताह में उचित कार्रवाई करने और कृत कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत कराने का आदेश दिया है।

आइपीएफ के जिला संयोजक और शिकायतकर्ता कृपा शंकर पनिका द्वारा एनएचआरसी को प्रेषित पत्र में संज्ञान में लाया गया था कि म्योरपुर ब्लॉक में हालत बहुत बुरी है। पेयजल संकट गंभीर है और लोग आज भी बरसाती नालों, कच्चे कुओं, चुआड़ और रिहंद बांध के पानी को पीने के लिए मजबूर हैं।

इससे लोगों की आए दिन मौतें हो रही हैं और डडियरा, रासपहरी, कुसम्हा, आश्रम जैसे तमाम में फ्लोरोसिस के कारण लोग विकलांग हो रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में आइपीएफ की टीम को डडियारा गांव के किए दौरें में एक ही परिवार के तीन सदस्य सगे भाई कपिल देव यादव 34 साल, किशुन देव यादव 31 साल पुत्र धर्मराज एवं उनकी मां मोहनी के फ्लोरोरिसिस के कारण विकलांग होने और इसी गांव की 13 वर्षीय बच्ची खुशबू पुत्री हुकुमचंद की आंखों की 80 फ़ीसद रोशनी जाने का मामला पता चला था जिस पर कार्रवाई की मांग की गई थी।

आइपीएफ जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका ने बताया कि पूर्व में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप पर प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल के लिए आरओ प्लांट लगे थे और फ्लोरोसिस प्रभावित गांवों में हैंडपंपों के साथ वाटर फिल्टर प्लांट लगाए गए थे। लेकिन आज ज्यादातर आरओ प्लांट और फिल्टर प्लांट खराब पड़े हुए हैं। जिला प्रशासन, जल निगम और उत्तर प्रदेश शासन से बार-बार अनुरोध करने और प्रमुख अखबारों में खबरें प्रकाशित होने के बावजूद इनकी मरम्मत नहीं कराई गई।

यहां तक कि आइपीएफ की शिकायत पर गई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी है माना है कि फ्लोरोसिस रिमूवल के लिए हैंडपंपों में लगे हुए प्लांट खराब पड़े हुए हैं, जिसके कारण लोगों को प्रदूषित पानी पीना पड़ रहा है। आगे कहा कि लोगों के विकलांग होने की जो हालत और अकाल मृत्यु की स्थिति पैदा हुई है जो जिला प्रशासन की प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है।

आगे कहा कि यह क्षेत्र आदिवासी व वनाश्रित बाहुल्य है। ग्रामीण इलाकों में बहुतायत आबादी गरीब है। क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त हैं और सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानक के अनुसार विशेषज्ञ डाक्टर व ईसीजी, एक्स रे, अल्ट्रासाउंड, प्रमुख पैथोलॉजी जांचें आदि का भी अभाव है। परिणामस्वरूप गंभीर रूप से बीमारी की स्थिति में तमाम लोगों की इलाज के अभाव में मौतें होती रहती हैं। ऐसे में अब एनएचआरसी के हस्तक्षेप के बाद जिला प्रशासन को खराब पड़े आरओ प्लांट और फ्लोरोसिस रिमूवल

प्लांट को तत्काल प्रभाव से ठीक कराना चाहिए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए और आम आदमी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए।